

प्रारूप—36

परियोजना का नामः—प्रधानमंत्री ग्राम सङ्करण के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी में ओडाटा से सरास मोटर मार्ग का निर्माण।

मानक शर्तों का मान्य होने का प्रमाण-पत्र

मानक शर्तें


1. वन भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसकी वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भाँति रहेगी।
2. अवधिकार वन भूमि बर्नी रहेगी।
3. प्रश्नातन भूमि का उपयोग केवल कठिन प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा व अन्य प्रयोजन हेतु कठिन नहीं किया जायेगा।
4. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यावित भूमि अथवा उसके किसी भी बाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।
5. वन भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि आवेदित भूमि चून्तम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य लैकलिंक भूमि उपलब्ध नहीं है।
6. परियोजना एजेन्सी, उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निहित प्रतिकर का मुग्नातन प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
7. हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर प्रयोक्ता एजेन्सी को कोई आपात नहीं होगी।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आल्कोहिट एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। कवरल अपरिहार्य करणे से ही ऐसा किया जाना समझव होगा। परन्तु प्रतिवर्ष यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्त एवं वन्य जन्तुओं के स्वच्छ विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. उपलब्ध करारणी/जायेगी।
10. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु कठिन विभाग के कर्मचारियों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों को नहीं विभाग के कर्मचारियों की निशुल्क जल की सुविधा वन भूमि की अवधिकारता प्रयोक्ता एजेन्सी न होने पर हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि खत: विभाग की अवधिकारता प्रयोक्ता एजेन्सी न होने पर विभाग की संख्या या व्यक्तिगत भुगतान के बाद विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रसारावें पर सरेखण तय करते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श लोटिनिलोटिनो द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस साक्षर्य में सुन्दर अभियन्ता, लोटिनिलोटिनो को साक्षात्वातित पर संख्या 608 सी० दिनांक 10-२-८२ में निहित आदेशों का पालन भी लोटिनिलोटिनो द्वारा किया जायेगा। वन भूमि पर अश्वार्ग बनाना अथवा वन मार्गों का सुटुडीकरण/चौड़ीकरण कर्य करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय की स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य है।
12. प्रयोक्ता एजेन्सी के हाथ वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित निलाधिकारी द्वारा वर्तमान बाजार दर के अनुसार राज्य सरकार के पक्ष में जमा करणा जायेगा।
13. वन भूमि पर छाड़े कुहां का निस्तारण तय करते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श लिंगम द्वारा किया जायेगा।
14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले कुहां के प्रतिकार में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित भूमि के सम्पुर्ण युक्तारोपण का मुग्नातन अथवा सम्पुर्ण गर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के द्वारे गर वानिकी क्षेत्रफल में युक्तारोपण तथा 3 वर्ष तक परियोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का मुग्नातन प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग किया जायेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर छड़े कुहां का पालन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार वाज के पेंडों पर पालन भी निषिद्ध है। ऐसे कुहां के पालन का निरीक्षण सम्बन्धित वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।
15. वन भूमि पर प्रस्तावित विद्युत पारेषण लाईन के कोरिडोर के नीचे यथासम्भव पड़ों का पालन नहीं किया जायेगा व पारेषण लाईन के खालों को छाँचा कर अधिक से अधिक संख्या में पड़ों को बचाया जायेगा। यदि फिर भी पेंडों का पालन अनिवार्य प्रतीत होता है तो चन्द्रनम पड़ों की संख्या सुनुक स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पवका करना आवश्यक समझा जाता है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त कार्य को ख्य से करायेगा।
17. उपरोक्त मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशेष प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगाई जाती हैं, तो प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उसका पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
18. वन भूमि का वार्ताविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उक्त शर्तों का पूरा अनुपालन प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया गया हो अथवा सदम रस्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लार्ड

गई शर्त प्रयोक्ता एजेन्सी को मान्य है।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड मोरी में ओडाटा से

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लार्ड


अधिकारी अमृत सिंह, पी.एम.जी.एस.वार्ड, पुरोला